



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No 25 of 2009)  
www.ggu.ac.in [E-mail ID - foggybsp@gmail.com] Ph. No. 07752 - 260036

क्र. 1222/वित्त/14

बिलासपुर दिनांक: 23/12/14

// परिपत्र //

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर यथा सुविधानुसार अवकाश यात्रा (LTC) लिये जाते हैं। अवकाश यात्रा में जाने के पूर्व समस्त शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा है कि अवकाश यात्रा हेतु केन्द्र शासन द्वारा जारी नियम/शर्तों का विस्तृत अध्ययन उपरान्त ही अवकाश यात्रा पर जाना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में अवकाश यात्रा अग्रिम समायोजन अथवा प्रतिपूर्ति (भुगतान) आदि पर किसी प्रकार की वित्तीय समस्याओं का सामना करना न पड़े। अवकाश यात्रा नियम/शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अग्रिम समायोजन अथवा प्रतिपूर्ति संभव नहीं होगा तथा प्रदाय अग्रिम की वसूली ब्याज सहित (सी.पी.एफ. पर देय ब्याज से 2% अधिक दर पर) की जाएगी जिसकी समस्त जवाबदारी संबंधित की होगी।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आदेशानुसार

कुलसचिव(कार्यवाहक)

पृ.क्र. 1223/वित्त/14

बिलासपुर दिनांक: 23/12/14

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर माननीय कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. सहा. कुलसचिव (प्रशा.) की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ कि अवकाश यात्रा नियम/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर ही LTC आवेदन अनुशंसा करें।
3. समस्त शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारीगण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. गार्ड फाइल।

वित्ताधिकारी (प्रभारी)

B.

23/12/14